कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–54/2017 श्री दिनेश कुमार मिश्रा, वार्ड सदस्य बनाम पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी, पहाड़पुर।

वाद का वर्णन

परिवादी श्री दिनेश कुमार, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत राज–तेजपुरवा, प्रखंड–पहाड़पुर, द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में (1) वार्ड नं0–5 मे सुरेन्द्र राय के घर से कोटवा सीमान तक मिट्टी भराई कार्य स्थल पर नहीं हुआ है, किन्तु इस कार्य को पूर्ण दिखाकर राशि का गबन कर लिया गया है।

(2) वार्ड नं0–5 में भिखारी राम के घर से प्रमोद प्रसाद के घर तक ईंट सोलिंग कार्य नहीं हुआ है जो भारी अनियमितता का प्रतिक है।

कार्रवाई/अनुपालन

अतः उक्त परिवादी के आवेदन के आलोक में वाद दायर कर परिवादी पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया, पी0टी0ए0 एवं कनीय अभियंता कार्यक्रम पदाधिकारी को नोटिस जारी किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, पहाड़पुर द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत लेखा अभिलेखो में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार :–

(1) योजना सं0–11/2016–17 योजना का नाम–वार्ड नं0–5 सुरेन्द्र राय के घर से कोटवा सीमान तक मिट्टी भराई कार्य का प्राक्कलित राशि रु0–1,96100.00रु0 मापी पुस्त दर्ज राशि–180246.00रु0। इस योजना के प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी ढुलाई के लिए विभागीय नियमानुसार ट्रेक्टर से मिट्टी ढुलाई का प्रावधान है, जिसके अनुरुप कार्य किया गया।

नियमतः कार्य प्रारंभ करने के बाद सामाजिक अंकेक्षण समिति के द्वारा योजना स्थल का सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में कार्यरत विभिन्न मनरेगा मजदूरों द्वारा स्वीकारोक्ति की गई कि उक्त योजना में मजदूरी किया है एवं मजदूरी का भुगतान हो गया है। मजदूरी बकाया नहीं है। श्रमिकों का जाँच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षरयुक्त बयान का बिडियों क्लीप संलग्न है।

परिवादी वाद के सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य या गवाह भी प्रस्तुत नहीं किये।

(2) इस दूसरे वाद में आवेदन में योजना का नाम गलत दिया गया है, जिसका कोई साक्ष्य भी नहीं है, जिसे सज्ञान में नहीं लिया गया तथा तत्काल इसे समाप्त किया गया।

वास्तव में जो योजना है उससे संबंधित वाद सं0–26/2017 में पंचाट/अधिनिर्णय दिया जा चुका है जिसको देखा जा सकता है।

लोकपाल मनरेगा पूर्वी चम्पारण

विचारणीय बिन्दु

1. क्या मनरेगा योजना में अनियमितता की शिकायत सही है ?

निष्कर्ष / निर्णय

परिवादी न तो लाभुक और न मजदूर है। वे वार्ड नं0–5 के ही एक वार्ड सदस्य है, इसलिए लगता है कि उन्होने राजनितीक कारणों से आवेदन दिया हो। एक वार्ड सदस्य होकर अपने ही वार्ड में किये गये विकासात्मक कार्यो एवं मजदूरों को दी जाने वाली रोजगार में नियमतः उन्हें सहयोग करना है न कि अड़ंगा डालना, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

पंचाट (अधिनिर्णय)

उपर्युक्त वर्णित लेखा अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं कार्यक्रम पदाधिकारी इत्यादि के प्रतिवेदनों के आधार पर उक्त योजना में परिवादी द्वारा की गई शिकायत प्रमाणित नहीं हुआ है। उक्त प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर योजना में कार्य नियमतः किया गया है।

अतः शिकायत पत्र को निष्पादित किया जाता है।

30/6/18

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
30/6/17

ज्ञापांक–28 / दिनांक–30.6.18

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, पहाड़पुर / पं0रो0से0, तेजपुरवा एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/6/18

लोकपाल(मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
30/6/17

O/L